:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– के.आर.खोड
मूकदमा नम्बर 25/19 राजस्व वाद

1. रेखा पत्नी शंकरलाल जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी बावडी तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. श्री जीवली पत्नी लखमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी डूँगरसारण तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज
2. श्रीमान लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

विपक्षी/ प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2 श्री बलागोविन्द पाटीदार विपक्षी/प्रतिवादी सख्या 1

:: निर्णय :: दिनांक 26/02/2020

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पत्थरगढी करवाने बाबत पेश किया है कि:– गॉव डूँगरसारण तहसील चिखली के खसरा सख्या 1214/359 का रकबा 1.8850 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी है विपक्षी सख्या 1 की खातेदारी भूमि गॉव डूँगरसारण तहसील चिखली के खसरा सख्या 979/359 का रकबा 1.6585 हैक्टेयर भूमि है, प्रार्थी एवं विपक्षी सख्या 1 की उक्त आराजीयात पास–पास स्थित है तथा पास–पास होने से प्रार्थी–विपक्षी में बार–बार सीमा का विवाद होता है विपक्षी–प्रार्थी की आराजी में अतिचार करने की धमकी देता है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया विपक्षी की ओर एडवोकेट बालगोविन्द पाटीदार ने वकालतनामा पेश किया, दिनांक 25/06/2019 से अब तक कुल 9 अवसर जवाब प्रस्तुत करने विपक्षी को दिए किन्तु विपक्षी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस करना चाहा गया जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि गॉव डूँगरसारण के आराजी नम्बर 1214/359 का रकबा 1.8850 हेक्टेयर की पत्थरगढी, पत्थर लगा कर स्थाई सीमा चिन्ह लगाने का है जो न्यायहित में सही होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया रेखा पत्नी शंकरलाल जाति डामोर निवासी बावडी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मौजा डूँगरसारण के आराजी सख्या 1214/359 का रकबा 1.8850 की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगाने हेतु पत्थरगढी करे। तहसीलदार तहसील चिखली आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

आज दिनांक 26/02/2020. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 13:42:45 IST
Reason: SelfAttested